

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय: कलेक्टर, सरगुजा एवं प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजसूचना एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1920/भू अर्जन/2020

अम्बिकापुर, दिनांक 12/03/2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	लखनपुर	अमदला (डुबान क्षेत्र)	0.445	बेलदगी जलाशय योजना
		योग:-	0.445	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन श्रुतार्थ (दिनांक) 28/03/2020 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन अमदला पर नियत रखा गया है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	बेलदगी जलाशय योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	1
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	153.14 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	रिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरक

उपरोक्त भूमि अर्जन के समय में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना तो विहित विधि/संगत स्थान पर ही जा सकेगी।

(डॉ. सारांश भित्तर)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

पृ० क्रमांक 1921 / भू-अर्जन / 2020,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक / 2 / 03 / 2020

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा सभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, उदयपुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम अमदला अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम राभा की सहभागिता भी प्राप्ति की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सभाग, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, बेलदगी जलाशय योजना, ग्राम अमदला, तहसील-लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन सभाग, क्र० 01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1924/भू-अर्जन/2020

अम्बिकापुर, दिनांक 12 / 03 / 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	लखनपुर	लखनपुर	0.058	चन्दनई व्यपवर्तन योजना
		जूना लखनपुर	0.119	
		योग:-	0.177	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि का अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 26/03/2020 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) नगर पंचायत भवन लखनपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	चन्दनई व्यपवर्तन योजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	6
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
छ- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	1414.38 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात को पर्याप्त के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला प्रभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानबूझ /सुझाव देना हो तो अदेहेत तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(डॉ.सारांश मित्तल)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक 192 6/भू-अर्जन/2020
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 12/03/2020

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, उदयपुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित सभी पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्था कराया साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित की दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम लखनपुर, जूना लखनपुर अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, चन्दनई व्यपवर्तन योजना, ग्राम लखनपुर, जूना लखनपुर, तहसील-लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, क्र० 01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर